# कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
## सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 18/11/20

## //आदेश//

क्रमांक-.222./192/विवेकानंद/2020-स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल को प्रभावी (Effective) बनाने के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों से लिये जानें वाले "रोजगार एवं शिक्षा समन्वय शुल्क" के संबंध में निम्नानुसार एकजाई निर्देश प्रसारित किये जाते हैं।

1 महाविद्यालयों में लिये जाने वाले 12/- (बारह रुपये मात्र) प्रति विद्यार्थी "रोजगार एवं शिक्षा समन्वय शुल्क" में से 02/- (दो रुपये मात्र) प्रति विद्यार्थी की राशि निदेशक, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना भोपाल को सीधे योजना के खाते में अंतरित की जाये, जिसमें से आवश्यकतानुसार 01/-- (एक रुपये मात्र) प्रति विद्यार्थी की राशि "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" हेतु चयनित नोडल महाविद्यालयों के उपयोग में लाई जाएगी।

2 पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में 2005-06 से यह शुल्क लिया गया है तब से 02/- (दो रुपये मात्र) प्रति विद्यार्थी के हिसाब से क्रमांक 01 अनुसार कार्यवाही की जाए, नवीन महाविद्यालयों में जब से शुल्क संग्रहण प्रारंभ हुआ है तब से अंतरित किया जाये

3 सत्र 2020-21 से ली जाने वाली राशि प्रतिवर्ष 31, अक्टूबर तक अनिवार्य रुप से निदेशक स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के बैंक खाते में अंतरित की जाये।

4 स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत राशि के संग्रहण हेतु "राष्ट्रीयकृत बैंक" में खाता संचालित किया जाये, तथा इसकी सूचना निदेशक, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के द्वारा समस्त महाविद्यालयों को प्रेषित की जाये ताकि महाविद्यालयों द्वारा राशि सतत रुप से बैंक खाते में जमा कराई जा सके। उक्त खाते का संधारण कार्यालय निदेशक, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया जाये तथा प्रतिवर्ष चार्टड एकाउन्टेट से लेखा परीक्षण कार्य कराया जाए।

5 इस निधि का उपयोग क्रमांक-1 अनुसार "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" हेतु चयनित जिलों के नोडल अधिकारी एवं निदेशक स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना प्रकोष्ठ भोपाल के द्वारा कार्यालयीन एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्त विभाग एवं प्रशासकीय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अद्यतन निर्देशों के अनुरुप किये जाने हेतु अधिकृत होगें।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृष्ठ कमांक/223/192/विवेकानंद/2020 भोपाल, दिनांक 18/11/20

**प्रतिलिपि–**

1 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2 स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा मंत्रालय, भोपाल।
3 निज सहायक, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4 निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5 निदेशक, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना, मध्यप्रदेश
6 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
7 प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय मध्यप्रदेश
8 समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
9 कार्यालयीन अभिलेख।

------की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

**आयुक्त**
**उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश**